(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, दौसा, राजस्थान

क्रमांक- जिशिअ/प्राशि/दौसा/फा-मान्यता/2014/5210 दिनांकः- 26/3/15

सेवा में,

विद्यास्थली पब्लिक स्कूल, दौसा

विषय- नियम 8 क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 25.1.12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.दौसा (विद्यालय का नाम और पता) विद्या स्थली पब्लिक स्कूल, दौसा को आधारभूत सुविधा संबंधी मामलों में 31.03.2013 तक तथा शिक्षक योग्यता संबंधी मामलों में 31.03.2015 की काल अवधि के लिए कक्षा 1 से 5 / ~~कक्षा 1 से 8 तक~~ के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः-

1. मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा- 8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा मे 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

- विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।
- किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणं-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाय।
- अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें।

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

- अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

[illegible] 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के [illegible] की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

- [illegible] परिसर का क्षेत्र
- [illegible]
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र
- [illegible] की संख्या
- [illegible] कार्यालयों एवं [illegible]
- [illegible] के लिए पृथक–पृथक [illegible]
- [illegible] सुविधा
- [illegible] पकाने के लिए रसोई
- [illegible] पहुंच
- [illegible] सामग्री / खेल–कूद उपस्कर / पुस्तकालय की उपलब्धता।

[illegible] के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

[illegible] संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

[illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी [illegible] अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय [illegible] विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है। 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के [illegible] या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।

[illegible] द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार संमुचित लेखा [illegible] जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी [illegible]

[illegible] आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/DA/RTE/....D 292.................................) है।

[illegible] रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा [illegible] की जायें और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता [illegible] पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा [illegible]

[illegible] का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

Secretary
Vidyasthali Public School
NH-11, Nangal Bairsi Road
Dausa (Raj.)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा दौसा